

Santlal
13-8-10
w/o Encl

RB
4-8-10

RB 2
16.8.10
RB 23-7-10 Request 139

15288
3/19/10
33

प्रेषक,
राकेश त्रिपाठी
अपर सिविल जज, सी०डि०,
कक्ष सं०-८, झांसी

सेवा में,
संयुक्त निदेशक,
कोषागार कैम्प कार्यालय,
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल),
कचेहरी रोड, इला०, उ०प्र०

द्वारा,
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद - झांसी

पत्र संख्या- दिनांक

विषय:- रिट याचिका सं० 1022/1989 आल इंडिया
जजेज एसोसियेशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में सम्बद्ध
आई०ए० सं० 244/09 पर मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश
दिनांक 28/4/09 द्वारा गठित जस्टिस ई० पद्मानभन आयोग की
संस्तुतियों के अनुसार राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक
सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों के अन्तरिम पुनरीक्षण विषयक
शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-793/दो-4-2010-45(12)/91
टी०सी vi, दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में
वेतन निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निवेदन इस प्रकार है कि उपरोक्त
रिट याचिका द्वारा उ०प्र० के न्यायिक अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया
है। इस संबंध में आपसे अनुरोध यह है कि मैंने दिनांक 16/6/2006 से उत्तर
प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है। क्योंकि मैं दिनांक 1 जनवरी
2006 के बाद उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्त हुआ हूँ। अतः मुझे पुनरीक्षित
वेतनमान में नियुक्त माना जायेगा। मेरी प्रोन्नति दिनांक 14/12/09 को सिविल
जज, जू०डि० से सिविल जज, सी०डि० में हुई है इसलिए मैं क्लास प्रथम
आफिसरों की श्रेणी में आता हूँ।

606
7-7-10

3594
S.O. Admin H/A

12/8
J.R.M.
12-8-10

JRCM
11-8-10

10
39
JR (Admin)

So, Admin (H)

JRCM

126 JUL 2010

12 AUG 2010

Serial NO. 33
AR Admin / JRM

For information
may Hl?

Pankaj w.o.c
8 JUL 2010

16 JUL 2010

file
31/8/2010
J-R.M.

PK Srikumar
28.8.2010
30-007-10
J.R.M.

Request 139

अतः आपसे अनुरोध है तदनुसार पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मेरी वेतनपर्ची जारी करने का कष्ट करें।

"स-सम्मान"

भवदीय *Rakesh*
01/07/10

(राकेश त्रिपाठी)

दिनांक 1/7/2010.

अपर सिविल जज(सी0 डि0)कक्ष सं8 झासी

पत्र संख्या-

दिनांक:

✓ प्रतिलिपि:- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Rakesh
01/07/10

(राकेश त्रिपाठी)

अपर सिविल जज(सी0 डि0)कक्ष सं8 झासी

कार्यालय उच्च न्यायालय, झासी।
दिनांक... 13.53/10... 3-7-10

सहायक

Jamal

उच्च न्यायालय
जासी।

Request 139

Central
13-8-10

Encl-3

R.B.
2-7-10

R.B.-7-20

RB27-7-0

R.B.
13-8-10

प्रेषक,
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,
अपर निदेशक (कोषागार)
शिविर कार्यालय,
प्रथम तल, कचहरी रोड,
इलाहाबाद, उ0प्र0।

15281
3191
32
31
24/8/10
26-8-10

220
2-7-10

पत्रांक : दिनांक :

विषय : शारानादेश सं0-1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी0सी0 VI दिनांक 31.05.10 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में।

34

महोदय,
उपर्युक्त विषयक के संबंध में अपने कार्यालय के पत्रांक 532/वेतनपर्ची-वेतन पुनरीक्षण/शि0का0/01.01.2006 दिनांक 05 अप्रैल 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त शारानादेशानुसार इस पत्र के साथ, इस न्यायिक अधिष्ठान में कार्यरत तीन न्यायिक अधिकारीगण, जिनको दिनांक 14.12.2009 को वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य कराकर स्वयं के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया गया है, का वेतन निर्धारण नियत प्रपत्र पर करवाकर आपके समक्ष प्रेषित किया जा रहा है जिससे कि संबंधित अधिकारीगण का वेतन निर्धारण कर, वेतनपर्ची निर्गत की जा सके।

JRCM
1-8-10

30

JR Admin

So, Admin(H)

3

कृपया पावती प्राप्त करने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

JRCM

with Encl 3

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

13

13 AUG 2010

पत्रांक : 1325/XV

दिनांक : 1.7.10

प्रतिलिपि महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनाार्थ प्रेषित।

3603
So. Admin(H)

12-8-10

Singh
जनपद न्यायाधीश
झांसी।
भाँसी.

JUL 29 2010


Request 139

वेतन निर्धारण प्रपत्र

शासनादेश सं०-793/दो-4-2010-45(12)/91 टी०सी० VI दिनांक 30.04.10,
शासनादेश सं०-1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी०सी० VI दिनांक 31.05.2010 की
व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण का विवरण :-

1	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्री राकेश त्रिपाठी
2	उस पद का पदनाम, जिस पर विकल्प की तिथि को वेतन निर्धारित होना है	सिविल जज (अवर वर्ग), मऊरानीपुर, झांसी
3	पद (समूह ख) का वर्तमान वेतनमान	9000-250-10750-300-13150-350-14550
4	पद (समूह ख) का शासनादेश दिनांक 30.04.10 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
5	(अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार इलाहाबाद के पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2010 व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया) दिनांक 01 जनवरी 2006/विकल्प की तिथि को मूल वेतन	9000/- प्रतिमाह 16.06.2006 (नियुक्ति की दिनांक)
6	शासनादेश संख्या 1420/दो-4-2010-45(12)/91टी.सी. दिनांक 31.05.10 के क्रम संख्या 3 के अनुसार दिनांक 1.1.06/ विकल्प की तिथि को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन	27700/- प्रतिमाह दिनांक 16.06.2006 से
7	(समूह ख) पूर्व वेतनमान में वेतनवृद्धि की तिथि	01.06.2007
8	शासनादेश संख्या 1420 दिनांक 31.05.10 के पैरा (3) के अनुसार पूर्व वेतनमान में वेतनवृद्धि के दिनांक को पुनरीक्षित वेतनमान में उसी तिथि को वेतनवृद्धि देने पर निर्धारित वेतन (01.06.07)	28470/- प्रतिमाह दिनांक 01.06.2007 से
9	अगली वेतन वृद्धि की तिथि तथा वेतनवृद्धियों स्वीकृत करने के उपरान्त वेतन	
	वेतनवृद्धि का दिनांक	पुनरीक्षित वेतनमान में देय वेतन
	01.06.2008	29240/- प्रतिमाह
	01.06.2009	30010/- प्रतिमाह

Note :- Promoted on 14.12.09


जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

Santtal
3-7-10
W.O. Encl.

8-7-10

Request 139

Sl. No	11416
W/3191	
No.	26

1883
02/7/10
S.O. 2002

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी
अपर सिविल जज, सी०डि०,
कक्ष सं०-८, झांसी

14/7/10

24-7-10

सेवा में,

निदेशक
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय,
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल),
कचेहरी रोड, इला०, उ०प्र०

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद -- झांसी

विषय: नवीनतम वेतन पर्ची भिजवाये जाने के संबंध में।

2894 महोदय,

So. Admin H/A

निवेदन इस प्रकार है कि शासनादेश सं० 1420/दो-4-2010-45(12)/91

02/7/10
JR (M)
W.O.E

टी०सी०, vi दिनांक 31/5/2010 के द्वारा न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है। वर्तमान में मैं बतौर अपर सिविल जज(सी०डि०) कक्ष सं०-८, जनपद न्यायालय झांसी में कार्यरत हूँ। अभी तक मेरी नवीनतम वेतनपर्ची मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जिसकी वजह से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं हो पायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी नवीनतम वेतनपर्ची यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें।

"स-सम्मान"

भवदीय

Rakesh
25/06/10

(राकेश त्रिपाठी)

दिनांक 25/6/2010

2 JUL 2010

अपर सिविल जज(सी० डि०)कक्ष सं०-८, झांसी

✓ प्रति लिपि- लेवा में,

माननीय न्यायाधीश महोदय, जनपद न्यायालय, पत्ता न्यायालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कक्ष
पत्रांक 1308/26/6/10
दिनांक 26-7-10
सहायक

भवदीय
Rakesh
25/06/10

अपर सिविल जज (सी० डि०) कक्ष सं०-८, झांसी

AR Admin / JRM

For information
may file?

जनपद न्यायाधीश
झांसी

Pankaj

26-7-10 JRM
my file 2
27/7/10 AR

file
27/7/2010
AR

AR Admin / JRM
26-7-10 26-7-10

Santal
23-1-10
w.o. Encl

R.B.
22-1-2010

Request-139

18-1-2010

2/1/10

1685

प्रश्न,

जिला न्यायाधीश,
जनसभ-तांसी।

सेवा में,

अपर निदेशक,
ढोषागार शिविर कार्यालय
प्रथम तल, नवीन ढोषागार भवन,
बेहरी रोड इलाहाबाद।

3191

21
3/210
8
11-2-10

पत्रांक:-

दिनांक:

विषय:-

श्री राधेश त्रिपाठी, अपर सिविल जज [सी. डि.], क्लस सं-08, तांसी का वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में यह कहना है कि माननीय

उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना सं-1782/ए.आर.एल./2009 दिनांकित 11.12.09 के द्वारा श्री राधेश त्रिपाठी, सिविल जज [सी. डि.]/चे. एम., मऊरानोपुर [तांसी] को प्रोन्नत कर अपर सिविल [सी. डि.] क्लस सं-08, तांसी के रूप में पदस्थ किया गया है। संबंधित अधिकारी श्री राधेश त्रिपाठी ने अपने प्रोन्नत हुए अपर सिविल जज [सी. डि.] क्लस सं-08, तांसी का पदभार दिनांक 14.12.09 को ग्रहण कर लिया है। संबंधित अधिकारी प्रोन्नत हो जाने के कारण इस अब वह नियमानुसार अपने वेतन हेतु त्वयं आहरण अधिकारी हो गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में आपके द्वारा वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है। इस पत्र के साथ संबंधित अधिकारी की मूल सेवा पुस्तिका सेवा विवरण, अवकाश लेखा विवरण एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री राधेश त्रिपाठी, अपर सिविल जज [सी. डि.] क्लस सं-08, तांसी का वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

धनदोय

जिला न्यायाधीश
तांसी।

15-02-10

संलग्नक:-

पत्रांक - 26/XV

प्रतिलिपि :- माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनाएँ प्रेषित।

ARAdmin-4/3R10

जिला न्यायाधीश
तांसी।

माँसी।

So Adm N/A

J-R (M)
23-1-10

8

P.S. to R.G.
(w.o.en)

27 JAN 2010

13 JAN 2010

23

A.B. (S)
w.o.en

18 JAN 2010

S.R.M.
(w.o.en)

15-2-10

6
29/1/10

16/2/10

For info/motion
may file?

PKSriwastava
15-02-10

15-2-10